

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक-प.3(146)नवि/3/2010

जयपुर, दिनांक:

19 MAY 2010

परिपत्र

राजस्थान भू-समाज (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ (उपांतरण) नियम, 2007 के अन्तर्गत पारित सम्पत्तिवर्तन आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपत्तिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुप्राप्त प्रत्याहित कर लो जाने और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समग्रहण किया जाने का प्रावधान है। इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि उक्त 2 वर्ष की अवधि को निम्न 14 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए Next Higher Authority द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

समय-समय पर विकास प्राधिकरण व नगर सुधार आया के क्षेत्राधिकार में बहुसंख्यी होती रहती है एवं बड़े हुए क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिनमें सम्पत्तिवर्तन राजस्व एजेंसी द्वारा पूर्व में किया जा चुका होता है। इस प्रकार के मामलों में अग्रिम कार्यवाही द्वारा प्रचार की जाये, इस संबंध में विभाग में प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं, जिन पर विचार किया गया। उक्त नियम, 2007 के अन्तर्गत सम्पत्तिवर्तित ऐसी भूमियां जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यायों, नगर पालिका/परिषद/निगम क्षेत्रों के विस्तार के साथ नगरीय क्षेत्र/मास्टर प्लान क्षेत्र/मास्टर डवलपमेंट प्लान क्षेत्र में सम्मिलित हो चुकी है तथा नियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि का सम्पत्तिवर्तित प्रयोजनार्थ 2 वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसी भूमियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाये:-

- (1) राजस्थान भू-समाज (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ (उपांतरण) नियम, 2007 के अन्तर्गत सम्पत्तिवर्तित ऐसी भूमि जिनका निर्धारित 2 वर्ष की अवधि में सम्पत्तिवर्तित प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है, उन प्रकरणों को मान्यता प्रदान करते हुए केवल वास्तव विकास शुल्क इस विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप वसूल किया जावे।
- (2) ऐसे प्रकरण जिनमें 2 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा इस कारण से उक्त सम्पत्तिवर्तन अवधायी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में 90वीं के तहत कार्यवाही की जाए तथा उनसे नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की मान्यता में भू-सम्पत्तिवर्तन शुल्क (Land Conversion Charges) तथा वास्तव विकास शुल्क (F.D.C.) वसूल किया जाए।

(सुखदेव सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, राजस्थान जयपुर,
2. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
3. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, जयपुर जयपुर
4. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
5. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
6. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
7. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
8. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
9. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
10. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
11. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
12. निदेश सचिव के निदेशों के माध्यम से, नगरीय विकास विभाग, जयपुर

शासन उप सचिव-प्रथम